



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102020-222663  
CG-DL-E-22102020-222663

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3324]  
No. 3324]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3751(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 16 अप्रैल 2006 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 852 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2010 का अधिक्रान्त करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, नागालैंड (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, नागालैंड कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	श्री आई. पंगेर जमीर सी/ओ रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आरआईटीईएस) बिल्डिंग नाहरबारी जंक्शन, पुराण बाजार, दीमापुर - 797116	अध्यक्ष;
2.	श्री टी. यंगर एओ, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग हाउस नंबर 320, उप्पेर एग्री कोहिमा- 797001	सदस्य;

3.	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन), नागालैंड सरकार	सदस्य सचिव।
----	--	-------------

2. प्राधिकरण, नागालैंड के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, नागालैंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, नागालैंड अपने विनिश्चय नागालैंड राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, नागालैंड की सहायता के उद्देश्य के लिए नागालैंड राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., नागालैंड कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

1.	श्री अल्बर्ट सोलो, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), वन कॉलोनी, कोहिमा, नागालैंड।	अध्यक्ष;
2.	डॉ. ग्लेन टी. थोंग, भूविज्ञान विभाग, नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा परिसर, मेरीमा - 797004.	सदस्य;
3.	डॉ. नाइजो पुरो, वनस्पति विज्ञान विभाग, नागालैंड विश्वविद्यालय, लुम्मी जूनहेबोटो - 798627.	सदस्य;
4.	श्री एच. के. चिशी, निदेशक (सेवानिवृत्त), हाउस नंबर-53 ए, एओ - खेल रोड उत्तर बस्ती, दीमापुर, नागालैंड	सदस्य;
5.	इंजीनियर म्हुंदामो ओवुंग हाउस नंबर -37 (के आरऔ एस कॉलेज के पास) लिरि कॉलोनी, कोहिमा।	सदस्य;
6.	मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण, जैव विविधता और अनुसंधान), नागालैंड सरकार।	सदस्य सचिव

6. एस.ई.ए.सी., नागालैंड के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एस.ई.ए.सी., नागालैंड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एस.ई.ए.सी., नागालैंड सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. नागालैंड राज्य सरकार, प्राधिकरण नागालैंड और एस.ई.ए.सी., नागालैंड के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

10. प्राधिकरण, नागालैंड के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., नागालैंड के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता नागालैंड राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/12/2010ई.ए.॥(1)]

अरविंद नॉटियाल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th October, 2020

**S.O. 3751 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), and in supersession of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S. O. 852(E), dated the 15<sup>th</sup> April, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 16<sup>th</sup> April, 2010, except as respect things done or omitted to be done before such super-session, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Nagaland (hereinafter referred to as the Authority, Nagaland) comprising of the following Members, namely: —

1.	Shri I. Panger Jamir C/o Rochester Institute of Technology (RIT'S) Building Naharbari Junction, Purana Bazar, Dimapur - 797116	Chairman;
2.	Shri T Yannger Ao, Retired Chief Engineer, Irrigation and Flood Control Department House Number 320, Uppare Agri, Kohima- 797001	Member;
3.	Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Environment and Climate Change), Government of Nagaland	Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Nagaland shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Nagaland shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Nagaland shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Nagaland.

5. For the purpose of assisting the Authority, Nagaland, the Central Government in consultation with the State Government of Nagaland, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as SEAC, Nagaland) comprising of the following Members, namely:—

1.	Shri Albert Solo, Indian Forest Service (Retired), Forest Colony, Kohima, Nagaland.	Chairman;
2.	Dr. Glenn T. Thong, Department of Geology, Nagaland University, Kohima Campus, Meriema – 797004.	Member;
3.	Dr. Neizo Puro, Department of Botany, Nagaland University, Lummi Zunheboto – 798627.	Member;
4.	Shri H. K. Chishi, Director (Retired), House Number - 53A, Ao – Khel Road North Basti, Dimapur, Nagaland.	Member;
5.	Engineer Mhondamo Ovung House Number - P.237 (Near KROS College) Lerie Colony, Kohima.	Member;
6.	Chief Conservator of Forest (Environment, Biodiversity and Research), Government of Nagaland	Member Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Nagaland shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Nagaland shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Nagaland shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

. The Government of Nagaland shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Nagaland and SEAC, Nagaland and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Nagaland and SEAC Nagaland shall be paid as per rules of the State Government of Nagaland.

[F. No. J.11013-12/2010-IA.II (I)]

Arvind Nautiyal, Jt. Secy.